राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
भारत सरकार
मिसिल संख्या NCBC/06/09/956/2021-KSP

एम्स के अधिकारीगण के साथ दिनांक 16.11.2021 को हुई सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारीगणः-

1. **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।**
2. **श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।**
3. **डॉ अनिता सक्सेना, डीन (अकेडमीक), एम्स**
4. **डॉ संजीव लालवानी, रजिस्ट्रार, एम्स**
5. **डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स**
6. **श्री बी. एस. गिल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स**
7. **अन्य अधिकारीगण**

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कौन-कौन से प्रश्नावली एम्स को भेजी गई थी और पिछली सुनवाई में आपसे दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था लेकिन अभी तक आयोग में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस संबंध में डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा बताया गया कि उसका जवाब हमने बना लिया है। माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा पहले भी कहा गया था कि आप जवाब उपलब्ध करा देंगे लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। माननीय आयोग द्वारा एम्स के वर्ष 1997 का रोस्टर रजिस्टर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
2. माननीय आयोग द्वारा रोस्टर रजिस्टर में कांट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट की सूची के बारे में पूछा गया, इस संबंध में डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा बताया गया कि कांट्रेक्ट वाले अपॉइंटमेंट की सूची भी रोस्टर रजिस्टर में है।
3. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आयोग द्वारा प्रश्नावली के बिंदु संख्या 6 का जवाब कहां पर है, इस संबंध में डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
4. माननीय आयोग द्वारा रजिस्ट्रार, एम्स से पूछा गया कि डीओपीटी के अनुसार रोस्टर रजिस्टर कैसे बनता है उसका मॉडल बताइए और उसमें कितने कॉलम होते हैं। इस संबंध में रजिस्ट्रार, एम्स द्वारा बताया गया कि यह एम्स में श्री बी. एस. गिल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स के अंतर्गत आता है।

संजय आर्य

बी.एस.गिल

संजीव लालवानी 23/11

29/11/21

5. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आप डीओपीटी के किस नियम के तहत एक बिंदु पर तीन लोगों को दिखा सकते हैं उस नियम की प्रतिलिपि आयोग में उपलब्ध कराएं। इस संबंध में श्री बी. एस. गिल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स द्वारा बताया गया कि रोस्टर रजिस्टर में आरक्षण बिंदु है और नियुक्ति के नियम अनुसार ईयर मार्कड़ होते है उसी को दोबारा भरा जाता है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा यह जवाब शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि ओबीसी के बिंदु को अनारक्षित व्यक्ति द्वारा किस नियम से भरा गया है इस संबंध में श्री बी. एस. गिल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स द्वारा बताया गया कि यह सीनियोरिटी के अनुसार भरा जाता है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा यह जवाब शपथ पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
7. माननीय आयोग द्वारा रजिस्ट्रार, एम्स से पूछा गया कि टैंपरिंग किये हुए डाक्यूमेंट्स आयोग के समक्ष क्यों उपलब्ध कराए गए हैं। इस संबंध में रजिस्ट्रार, एम्स द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
8. माननीय आयोग द्वारा 13 प्वाइंट रोस्टर के बारे में पूछा गया। इस संबंध में श्री बी. एस. गिल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स द्वारा बताया गया कि जहां 13 से कम पद हैं, वहां पर हम 13 पॉइंट रोस्टर फॉलो करते हैं। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि 13 प्वाइंट रोस्टर एम्स में कब से कब तक लागू था और किसके द्वारा लागू किया गया था यह दोनों जवाब आप शपथ पत्र पर आयोग को उपलब्ध करा दीजिए।
9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एम्स में नॉन-टीचिंग में आरक्षण कब से लागू हुआ है। इस संबंध में एम्स के अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 1997 से आरक्षण लागू है और 2013 में भी लागू था।
10. माननीय का आयोग द्वारा कहा गया कि जो ओबीसी के बिंदु पर भर्ती हुई है उन सब का ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र और अपॉइंटमेंट लेटर आयोग में उपलब्ध कराएं।
11. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि 334 लोगों की भर्ती में आप कौन-सा रोस्टर फॉलो करते हैं इस संबंध में डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा बताया गया कि 200 प्वाइंट रोस्टर फॉलो किया जाता हैं।
12. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि इन रोस्टर में इतनी गलतियां हैं ओबीसी के बिंदु पर एससी एसटी या यूआर से भरा हुआ है और किस नियम के आधार पर आपने एससी के बिंदु पर ओबीसी को भरा है आप यह जवाब शपथ पत्र पर उपलब्ध कराएं और यह पूछा गया कि वर्ष 1992 वाला नियम लागू होगा या वर्ष 2013 वाला नियम लागू होगा और आपने ओबीसी के बिंदु को एसटी से क्यों भरा हुआ है कौन से नियम से यह किया गया हैं। इस संबंध में डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा बताया गया कि सर यह सारे बिंदु अपडेट किए गए हुए हैं। इस संबंध

संजय आर्य

राजीव लालवानी 29/11

29/11/21

में माननीय आयोग द्वारा बताया गया कि श्री संजय कुमार आर्य, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा लिखित रूप में दिया गया है 'maintenance of Reservation Register Roster to be done as DoPT guidelines' या इसके अलावा और कोई भी गाइडलाइन है तो आयोग को दिखाइए। इस संबंध में डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा बताया गया कि यह रोस्टर हमने 120 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार बनाया हुआ हैं, क्योंकि एम्स में यूपीएससी या बोर्ड के द्वारा ऑल इंडिया बेसिस पर परीक्षा होती हैं और उसके अलावा एम्स में विभागीय परीक्षा होते हैं। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आपके यहां कुल 334 स्ट्रैंथ है और आप 120 प्वाइंट रोस्टर की बात कर रहे हैं उसका नियम हमें बताइए आपको मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ होगा। इस संबंध में श्री बी. एस. गिल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स द्वारा बताया गया कि एम्स का इंटरनल फैसला लिया हुआ है। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आप द्वारा लिखा गया है की 'Reservation Register Roster to be done as DoPT guidelines' इस पर आप तीनों के हस्ताक्षर हैं यह जवाब आप शपथ पत्र पर आयोग को उपलब्ध कराएं।

13. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या एम्स का रोस्टर रजिस्टर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वेरीफाई हुआ है। इस संबंध में एम्स के अधिकारीगण द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
14. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आप 120 पॉइंट रोस्टर में ओबीसी के बिंदु आयोग को बता दीजिए। इस संबंध में डॉक्टर संजय कुमार आर्य द्वारा बताया गया कि बिंदु संख्या 4 पर ओबीसी आएगा। इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बिंदु संख्या 70 और बिंदु संख्या 71 पर किस केटेगरी का आएगा। इस संबंध में डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा बताया गया कि बिंदु संख्या 70 पर भी ओबीसी आएगा और बिंदु संख्या 71 पर यूआर ईडब्ल्यूएस आएगा।
15. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आयोग को वह नियम बताइये जिसके तहत ओबीसी की जगह पर आपने यूआर की नियुक्ति की है। जिसके जवाब में एम्स के अधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। आयोग द्वारा कहा गया कि अगर ऐसा कोई नियम नहीं है तो आप लोगो ने कैसे किया और पहले कितने प्वाइंट के रोस्टर को लागू किया था जिसके जवाब में डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा बताया गया कि 200 प्वाइंट का रोस्टर लागू किया था। आयोग द्वारा कहा गया कि आप आयोग को शपथ-पत्र दीजिये, कि किस दिनांक से कब तक 120 रोस्टर लागू था और किस दिनांक से 200 प्वाइंट रोस्टर लागू किया है।
16. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि बिंदु संख्या 4, 8, 12 और 16 की बात कर रहे है तो उस पर आप आयोग के समक्ष गलत उत्तर क्यों दे रहे हैं इस संबंध में डॉ संजय कुमार आर्या, प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल), एम्स द्वारा बताया गया कि बिंदुओं का जो अंतर आ रहा है कही ये 120 प्वाइंट

संजय आर्य

29/11/21

रोस्टर या 200 प्वाइंट रोस्टर रजिस्टर की वजह से तो नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नही है। इस संबंध में आयोग द्वारा कहा गया कि इस रोस्टर रजिस्टर में ओबीसी का रोस्टर प्वाइंट यूआर को दिया हुआ है और इसमें ओबीसी को 2 बिंदुओ पर ऑन मेरिट (ओबीसी) को दिया हुआ है और ओबीसी-3 खाली है। एम्स के रोस्टर रजिस्टर का फार्मेट सही नहीं है। एम्स का रोस्टर रजिस्टर 120 प्वाइंट और 200 प्वाईंट दोनों के हिसाब से गलत है।

17. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एम.बी.बी.एस का एडमिशन में ओबीसी का रिजर्वेशन कब से शुरु हुआ। जिसके जवाब में श्री बी. एस. गिल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स द्वारा बताया गया कि वर्ष 2008 से एडमिशन में ओबीसी को आरक्षण शुरु हुआ।
18. माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि एमडी का रोस्टर कब से लागू हुआ है। वर्ष 2008 से रोस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि उनके साथ में उनका ओबीसी प्रमाण पत्र और नियम की प्रतिलिपि और सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराये जाये।
19. आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या एम्स में सिलेक्शन कमेटी में ओबीसी का सदस्य होता है जिसके जवाब में रजिस्ट्रार, एम्स द्वारा बताया गया कि आयोग को यह चैक कर के बता देंगे।
20. आयोग द्वारा पूछा गया कि एम्स के फैकल्टी में एक साल में जो साक्षात्कार हुए हैं उसकी सिलेक्शन कमेटी की पूरी रिपोर्ट आयोग में जमा की जाये और जितने भी शिकायत पत्र आये है उसका रजिस्टर भी आयोग में जमा किया जाये।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री बी. एस. गिल)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
एम्स

संजय आर्य
(डॉ संजय कुमार आर्या)
प्रोफेसर (रिक्रूटमेंट सेल),
एम्स

संजीव लालवानी
(डॉ संजीव लालवानी)
रजिस्ट्रार,
एम्स

(डॉ अनिता सक्सेना)
डीन (अकेडमीक),
एम्स

कौशलेन्द्र सिंह पटेल
(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग